

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 147/2010
संस्थित दिनांक 23.04.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

— **अभियोगी**

वि रू द्ध

नरेन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत,
उम्र 35 वर्ष, निवासी जामली कला
थाना बोरगांव, जिला खण्डवा

— **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री आर. के. श्रीवास

—: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 14/12/2016 को घोषित)

01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 11/2010 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 19.01.2010 को लगभग 2:15 बजे ए.बी. रोड गुरुद्वारा लाला के ढाबे के बीच में लोक मार्ग पर ट्रक क्रमांक एम.पी-09-एच. एफ./0433 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने और उसी समय उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर सुरेश को उपहतियां कारित करने तथा आहत रवि को घोर उपहतियां कारित करने तथा अंकित व रितेश को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के आधार पर, भादवि की धारा 279, 337, 338, 304-ए का अभियोग है।

02— प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2010 को फरियादी दिपेश ने हमराह भवरसिंह, हुकमचंद, नरेन्द्र, सुरेश के साथ आकर थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लिखाई कि उसका छोटा भाई रितेश पिता भारतसिंह राजपूत उम्र 21 साल, निवासी इन्द्रानगर धामनोद का ड्राईवरी करता था दिनांक 18.01.2010 के रात्रि में राजेन्द्र जायसवाल की क्वालिस नम्बर एम.पी.09/व्ही/3413 को लेकर घुस गांव गया था तथा दिनांक 19.01.2010 को रात्रि में वापस महेश्वर जा रहा था कि ए.बी रोड गुरु द्वारा व लाला के ढाबे के बीच ट्रक क्रमांक एम.पी. 09/एच.एफ./0433 का चालक ठीकरी तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने से टक्कर मारी जिससे क्वालिस नम्बर एम.पी.09.व्ही/3413 में बैठे अंकित गुप्ता, रवि गोरे, तथा सुरेश

को चोट लगी तथा उसके भाई रितेश को सिर में, गले में, दोनों हाथों में, मुंह में, शरीर में चोटें लगी, राजेन्द्र पिता बद्रीलाल को सूचना मिलने पर गया तथा घायलों को ठीकरी अस्पताल लाया जहां पर उसके भाई रितेश की मृत्यु हो गई जिसकी लाश सी एच सी ठीकरी में रखी है। फरियादी दिपेश की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 11/210 दर्ज कर विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, ट्रक क्रमांक एम.पी. 09. एच.एफ/0433 तथा उक्त ट्रक के प्रपत्र व अभियुक्त की चालान अनुज्ञप्ति जप्त कर जप्ती पंचनामें बनाये गये, आरोपी को गिरफ्तार कर, फरियादी तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 337, 338, 304—ए के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 19.01.2010 को लगभग 2:15 बजे ए.बी. रोड. गुरुद्वारा व लाला के ढाबे के बीच लोक मार्ग पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09. एच.एफ/0433 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत सुरेश को उपहतियां कारित कीं ?
(iii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत रवि को घोर उपहतियां कारित कीं ?
(iv)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर अंकित व रितेश को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

— विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक-साथ किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी

दिपेश (अ.सा.-1) का कथन है कि मृतक रितेश उसका छोटा भाई था तथा मृतक अंकित उसके भाई का दोस्त था। घटना करीब साल भर पहले की है रितेश ड्रायवरी करता था घटना वाले दिन रितेश राजेन्द्र जायसवाल की क्वालिस जिसका नम्बर एम.पी. 09 वी/3413 को लेकर गया था, नरेन्द्र जायसवाल ने उसे उसके घर पर आकर सूचना दी थी कि रितेश का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह ठीकरी थाने पर पहुंचा तब उसे थाने से जानकारी मिली कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव अस्पताल में रखा हुआ है। उसके भाई की गाड़ी को किस वाहन ने टक्कर मारी थी, उसे नहीं पता। ट्रक चलाने वाले व्यक्ति को उसने नहीं देखा था। रितेश को सिर में चोट आयी थी, उसने पुलिस थाना ठीकरी पर प्रदर्श 1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने रितेश की लाश का पंचनामा बनाने के लिये सूचना दी थी जो प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने रितेश की लाश का नक्शा पंचायतनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में टक्कर मारने वाले ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से अपने वाहन को लाकर क्वालिस को टक्कर मारने की बात लिखाई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी 5 में भी उक्त वाहन का नम्बर लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है।

08— साक्षी भवरसिंह (अ.सा.2), नरेन्द्र (अ.सा.3), सुरेन्द्र (अ.सा.4), हुकुमचंद (अ.सा.5), रविन्द्र (अ.सा.8) ने भी वाहन दुर्घटना की सूचना मिलने और उसमें रितेश और अंकित की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों ने सफीना फार्म तथा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित करके सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, उन्होंने पुलिस को अपने कथन में रितेश की क्वालिस नम्बर एम.पी.09—व्ही-3413 को, ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 द्वारा टक्कर मारने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में हुमुमचंद (अ.सा.5) ने स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं था और उसे ट्रक की गति के संबंध में भी जानकारी नहीं है।

09— डॉ. डी0.एस0 चौहान (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 19.01.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आरक्षक अनारसिंह द्वारा लाने पर मृतक रितेश पिता भारतसिंह के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर, सिर में आई चोटों के कारण होना पाई थी। साक्षी ने उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 भी प्रमाणित किया है। रूपसिंह चौहान (अ.सा.10) ने दिनांक 19.01. 2010 को अस्पताल चौकी में मृतक अंकित पिता नरेन्द्र की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 13 का बनाने के संबंध में कथन किये हैं।

10— शेख अयाज (अ.सा.9) का कथन है कि उसने 6 वर्ष पूर्व क्वालिस वाहन क्रमांक एम.पी.09—व्ही.3413 श्यामलाल को तथा श्यामलाल ने राजेन्द्र जायसवाल को विक्रय करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वाहन से वर्ष 2010 में दुर्घटना होने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

12— बी.एल भवर (अ.सा.6) का कथन दिनांक 19.01.2010 को फरियादी दिपेश ने थाना ठीकरी में आकर ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर क्वासिल कार नम्बर एम.पी. 09—व्ही 3413 को टक्कर मारकर उसमें बैठे व्यक्तियों को चोट आना और रितेश की मृत्यु हो जाने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी दिनांक को प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल से ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 10 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त ट्रक के दस्तावेज और आरोपी की चालान अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी 11 के अनुसार जप्त किये। उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया था कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था।

13— इस प्रकार स्पष्ट रूप से फरियादी स्वयं दिपेश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में भी उक्त घटना कारित करने वाले ट्रक का क्रमांक पुलिस को नहीं लिखाना बताया है तथा शेष अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त ट्रक का क्रमांक पुलिस को बताने से स्पष्ट इंकार किया है तथा विवेचना अधिकारी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि किसी भी साक्षी ने उसे यह नहीं बताया था कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा ही घटना दिनांक, स्थान और समय पर ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सुरेश को उपहति, रवि को गंभीर उपहति कारित की तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त ट्रक का नम्बर एम.पी. 09—एच.एफ.0433 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर अंकित एवं रितेश की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

14— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन अपनी ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 279, 337, 338, 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त नरेन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी जामली कला थाना बोरगांव, जिला खण्डवा को भादवि की धारा 279, 337, 338, 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपी के

अभिरक्षा में होने के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

16— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक एम पी-09-एच.एफ-0433 तथा जप्तशुदा क्वालिस क्रमांक एम.पी. 09-व्ही-3413 पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.